राजस्व अपील संख्या : 31/2025
उनवान : गोमाराम बनाम समाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 31/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/137

अपीलाण्ट्स :–

गोमाराम पुत्र स्व. छोलाराम उर्फ
चोलाराम जाति मीणा निवासी भादुन्द
तहसील बाली जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. समाराम पुत्र भुराराम जाति मेगवाल निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी एवं प्रतिनिधि तहसीलदार बाली जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर. टी. एक्ट. 1955 के तहत विरुद्ध आदेश एवं निर्णय दिनांक 10.06.2025 जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी प्रकरण संख्या 08/2024 में तहसीलदार बाली ने प्रकरण अनवान समाराम बनाम गोमाराम में पारित निर्णय को निरस्त कराने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता हनुमानसिंह चौहान।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मूलसिंह यादव।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 25.02.2026

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 225 आर. टी. एक्ट. 1955 के तहत पेश कर विरुद्ध आदेश एवं निर्णय दिनांक 10.06.2025 जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी प्रकरण संख्या 08/2024 में तहसीलदार बाली ने प्रकरण अनवान समाराम बनाम गोमाराम में पारित निर्णय को निरस्त कराने बाबत् पेश की। अपील अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि :–

1. यह है कि तहसीलदार बाली ने अपीलाण्ट के विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय एवं आदेश पारित करने में बडी भारी कानूनी एवं वाक्याति भूल की है जो निरस्त करने योग्य है।
2. यह है कि विवादित भूमि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागु होने के पूर्व से एवं राजस्थान में प्रजा तांत्रिक शासन लागु होने के पूर्व से इस भूमि पर अपीलाण्ट का पुश्तेनी कब्जा चला आ रहा है जिसके गत खसरा नम्बर 82 रकबा 4/2 अक्षरे सवा चार बीघा दो बिस्वा किस्म बारानी अव्वल के रुप में समरता पुत्र उमा जाति मीणा निवासी बीजापुर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

के नाम खातेदारी की भूमि चली आ रही है। श्री सामरता पुत्र उमा मीणा अपीलाण्ट के पिता है। जिनका स्वर्गवास सन 2002 दिनांक 24.12.2002 को हो गया है। उनके जीवनपर्यन्त इस भूमि पर उनका व उनके स्वर्गीय होने पर अपीलाण्ट का भौतिक एवं वास्तविक कब्जा चला आ रहा है। प्रमाण में अपीलाण्ट ने प्रमाणित प्रतिलिपि मिसल बन्दोबस्त संवत् 2009 से 2028 अपीलाधीन प्रकरण में पेश किया है।

3. यह है कि वक्त प्रकरण भू प्रबन्ध भू प्रबन्ध अधिकारी ने वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 82 के साथ 83 मी. मिलाकर नये खसरा नम्बर 91 रकबा 0.91 हैक्टेयर गलत दर्ज किया है तथा इस गलत इन्द्राज को सही मानकर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज कर अपीलाण्ट के पिता की जगह समा पुत्र भूरा मेगवाल का नाम सरासर उक्त अधिनियम के विरुद्ध एवं मौके पर स्थित कब्जे के विरुद्ध दर्ज कर प्रार्थी के पिता का नाम ही इस भूमि के रिकॉर्ड से गायब कर दिया। जबकि इस पर प्रार्थी के पिता का बहैसियत स्वामी के कब्जा काश्त उनके जीवनपर्यन्त सन 2002 की दिनांक 24.12.2002 तक रहा है एवं अपीलाण्ट का भी उनके साथ कब्जा काश्त रहा है। उनके स्वर्गीय होने के पश्चात् इस भूमि पर बहैसियत खातेदार स्वामी के भौतिक एवं वास्तविक रुप से अपीलाण्ट व उसके परिवार का कब्जा काश्त चला रहा है। वर्तमान में आज दिनांक 16.07.2025 को अपीलाण्ट की फसल दो फीट की उचाई तक खडी है। इस पर आज दिनांक तक कभी भी किसी भी रुप में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 कब्जा काश्त रहा हीं नहीं है। न है न व कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी भी है। केवल राजस्व रिकॉर्ड में भू प्रबन्ध वालो द्वारा अवैध बिना किसी अधिकारिता के रेस्पोडेण्ट संख्या 01 एक का नाम उक्त भूमि की जमाबन्दी में अपीलाण्ट उसके पिता की जगह उसका नाम गलत दर्ज कर दिया व इस गलत इन्द्राज हेतु अपीलाण्ट द्वारा दुरुस्त करने बाबत् उपखण्ड अधिकारी बाली के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया हुआ है जिसके नम्बर राजस्वमूल 4014/95 है। जिसकी अपील विचाराधीन है।

4. यह है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ अधिकारी के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किये है जो प्रदर्श ए 1 से प्रदर्श ए 12 तक पेश कर अपना पक्ष संदेह से परे साबित किया है परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से सांठ–गांठ कर केवल वर्तमान राजस्व जमाबंदी के गलत इन्द्राज जिसमें भूमि प्रार्थी के नाम गलत दर्ज की गई व प्रार्थी अपीलाण्ट का नाम ही राजस्व रिकॉर्ड से गायब कर राजस्व रिकॉर्ड पर मौजुद साक्ष्य के प्रतिकुल निर्णय पारित करने में बडी भारी कानूनी एवं वाक्याति भूल की है इससे अपीलाण्ट को सख्त प्रेज्युडिश हुई व वह न्याय से वंचित रहा है। जिससे अपीलाधीन निर्णय विधि विरुद्ध होने से अपास्त करने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

5. यह है कि उक्त भूमि की गिरदावरी संवत् 2021 तदनुसार दिनांक 04.10.1964 को भी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विवादित भूमि पर अपीलाण्ट के पिता समरता पुत्र उमा का खसरा नम्बर 82 रकबा 4/2 अक्षरे सवा चार बीघा दो बिस्वा पर काश्त व कब्जा होना साबित है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का इस पर कही भी कब्जा काश्त दर्ज नहीं है। न ही उसके पिता भूरा के नाम कब्जा काश्त होना दर्ज नहीं है जिससे इस भूमि पर अपीलाण्ट का उसके पिता के साथ पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आना संदेह से परे साबित है। परन्तु अधीनस्थ अधिकारी ने अपीलाण्ट के किसी भी दस्तावेज बाबत व उन्हें न ही मानने बाबत कही भी निर्णय में विवेचन ही नहीं किया है। जिससे उनके द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से सांठ गाठ कर निर्णय अवैध पारित करना भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। जो विधि विरुद्ध एवं दस्तावेजी साक्ष्य को अनदेखा कर पारित करने से निरस्त करने योग्य है।

6. यह है कि खसरा मिलान में खसरा नम्बर 83, 82 को मिलाकर गत रकबा 07 बीघा बताया है व इसके नये खसरा नम्बर 89 रकबा 0.91 हैक्टेयर होना राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो प्रदर्श ए 8 है जबकि 7 बीघा का हैक्टेयर प्रसाली में रकबा 01.12 हैक्टेयर होता है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में यह रकबा 0.91 हैक्टेयर दर्ज किया हुआ है जो भी गलत हैं। खसरा नम्बर 83 का रकबा बहुत ही बड़ा है खसरा नंबर 83 की भूमि खसरा नम्बर 82 में स्थित नहीं है। इसके पास खसरा नम्बर 82 वादग्रस्त भूमि स्थित है जिसका सीमांकन किया हुआ है। इस प्रकार भू प्रबन्ध वालो ने खसरा नंबर 82 की भूमि में खसरा नम्बर 83 मी. मिलाकर नया रकबा 0.91 हैक्टेयर गलत दर्ज किया है जो 0.21 हैक्टयेर ज्यादा है व अपीलाण्ट की भूमि में 0.25 हैक्टेयर भूमि गलत जोड दी गई है। जो इन्द्राज गलत होने से मानने योग्य किसी भी कानुन के तहत नहीं है। यह रिकॉर्ड में हेरा फेरी भू प्रबन्ध वालो द्वारा बिना अधिकारिता के की है। जो किसी भी कानुन के तहत मानने योग्य ही नहीं है।

7. यह है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.2024 को पारित किया गया है जिसकी नकल हेतु दिनांक 24.06.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल दिनांक 24.06.2025 को प्राप्त हुई है जिससे अपील अन्दर अवधि एक माह के प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट शुमार फरमावें। एवं अपीलाधीन आदेश/निर्णय मय खर्चा खारिज फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को ज़रिए सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली के जैर अपील प्रकरण संख्या 08/2024 की मूल पत्रावली प्राप्त कर नत्थी मिसल की गई।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने वक़्त बहस अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सेटलमेण्ट कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 31/2025
उनवान : गोमाराम बनाम समाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955

गत खसरा संख्या 82 मौज़ा बीजापुर में से अवैधानिक तथा क्षेत्राधिकारहीन ढंग से अपीलार्थी के पिता का नाम विलोपित कर अप्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कर दिया। उक्त जैर अपील विवादित आराजी वर्तमान खसरा संख्या 89 मौजा बीजापुर पर प्रारम्भ से अपीलार्थी का कब्जा काश्त है किन्तु उक्त समस्त तथ्यों को नजरन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 (बी) के अन्तर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध बेदखली का ज़ैर अपील आलोच्य आदेश पारित किया गया, जो काबिल खारिज है।

उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या एक ने बहस के दौरान निवेदन किया कि हस्तगत अपील काल्पनिक कथनों पर आधारित है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गई। प्रश्नगत कृषि आराजी पर अप्रार्थी का अपने पूर्वजों के समय से ही हक हकूक बदस्तुर चला आ रहा है तथा राजस्व अभिलेख में भी उक्त भूमि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के रुप में ही इन्द्राज है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की ज़ैर अपील खातेदारी भूमि पर अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अपीलाण्ट का अवैध कब्जा प्रमाणित पाए जाने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध आलोच्य बेदखली आदेश पारित किया गया है। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने यह भी ज़ाहिर किया कि अपीलार्थी द्वारा इसी भूमि को लेकर न्यायालय सहायक कलेक्टर बाली में प्रस्तुत किया है, जो आदिनांक ज़ैर सुनवाई लम्बित है। अतः हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज फरमावें।

सरकारी पैरोकार बज़तरफ अप्रार्थी संख्या दो ने ज़ाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 10.06.2025 पूर्णतः वैध आदेश है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उपबन्धानुसार ही पारित किया गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

वकुलाए फरीकेन की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं आलोच्य प्रकरण संख्या 08/2024 की मूल पत्रावली का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा प्रकरण संख्या 08/2024 में पारित बेदखली आदेश दिनांक 10.06.2025 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को इस आधार पर चुनौति दी है कि उक्त भूमि भू प्रबंध कार्मिकों द्वारा तथाकथित अवैध ढंग से अप्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कर दी गई थी। तथा प्रारम्भ से अपीलार्थी का हक हकूक विद्यमान रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी श्री समाराम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के प्रावधानान्तर्गत प्रकरण संख्या 08/2024 दर्ज कर दिनांक 10.06.2025 को निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थी/अपीलाण्ट के विरुद्ध मौजा बीजापुर के खसरा संख्या 89 से बेदखली का आदेश पारित किया। मूल पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 89 राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेण्ट प्रार्थी श्री समाराम की खातेदारी भूमि में रुप में दर्ज है, जो अनुसूचित जाति से सम्बद्ध है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब जांच रिपोर्ट में अपीलाण्ट/अप्रार्थी श्री गोमाराम का उक्त भूमि में 0.52 हैक्टेयर पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 31/2025
उनवान : गोमाराम बनाम समाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955

अवैध कब्जा प्रमाणित पाये जाने तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध होने के आधार पर उक्त अपीलाण्ट श्री गोमाराम के विरुद्ध दिनांक 10.06.2025 को बेदखली आदेश पारित किया गया। आलोच्य प्रकरण संख्या 08/2024 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/अप्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए तथा अनुसूचित जाति से सम्बद्ध खातेदार की कृषि भूमि पर अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध व्यक्ति अर्थात अपीलार्थी का अवैध कब्जा प्रमाणित पाए जाने पर ही जैर अपील आलोच्य आदेश पारित किया गया। आलोच्य प्रकरण संख्या 08/2024 में कोई प्रक्रियात्मक तथा वैधानिक त्रुटि नहीं पायी गई और न ही ऐसी किसी प्रक्रियात्मक या वैधानिक त्रुटि को हस्तगत अपील में आधार ही बनाया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस भूमि के सम्बद्ध में न्यायालय सहायक कलेक्टर बाली में घोषणात्मक वाद भी प्रस्तुत किया है एवं हस्तगत अपील में जो आधार अंकित किये गए है उनके निर्धारण हेतु उक्त न्यायालय ही सक्षम है। अतः हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner